

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./2017-18/सान्याअवि/817018

दिनांक : 30-11-2018


आदेश

शैक्षणिक सत्र 2018-19 में राजस्थान के मूल निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग)/अन्य पिछडा वर्ग/आर्थिक पिछडा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु/मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं एवं राज्य के बाहर की राजकीय एवं राष्ट्रीय स्तर की राजकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रमों में प्रवेशित/अध्ययनरत शिक्षण संस्थाओं (कक्षा 11 एवं 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विद्यार्थियों द्वारा वेबसाईट www.scholarship.rajasthan.gov.in क्लिक कर पेपरलेस आवेदन पत्र ऑनलाइन पंजीकरण करने, आवेदन पत्र भरने के लिए निम्नानुसार तिथियां निर्धारित की जाती है :-

क्र.सं.	विषय वस्तु	निर्धारित तिथियां
1	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारंभ करने की तिथि	01 दिसम्बर 2018
2	उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विद्यार्थियों के लिए पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बन्द करने की तिथि	31 जनवरी 2019
3	शिक्षण संस्थान को विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकृतकर्ता अधिकारियों को अग्रेषित करने की तिथि	05 फरवरी, 2019

नवीन छात्रवृति पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2018-19 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं में पेपरलेस ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यार्थियों के लिए निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) एवं विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछडा वर्ग-SBC) के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
2. अन्य पिछडा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.50 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 श्रेणियों वाले विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे। **जैसे- बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र, विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र।**
3. डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछडा वर्ग (EBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 1.00 लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल **राजकीय शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी** ही आवेदन कर सकेंगे
4. डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु (DNT) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 2.00 लाख रु. तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
5. मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में 5.00 लाख रु. से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं (**विभाग द्वारा सूचीबद्ध**) में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
6. सभी विद्यार्थी अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। ऑनलाईन आवेदन पत्र के लिए पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि ई-मित्र/साइबर कैंफे/शैक्षणिक संस्थान से आवेदन कर रहे हैं तो



- अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाये एवं समस्त प्रविष्टियों की जांच स्वयं कर लें तथा यदि कोई त्रुटि है तो आवेदन पत्र को उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाईन फाइनल सबमिट करें ।
7. छात्र/छात्रा मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं की ही दें ।
 8. SC/ST/SGS (पूर्व में SBC) /EBC/DNT/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार **मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।** जैसे – आय का घोषणा पत्र (विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र द), मूल निवास विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ एवं विधवा स्वयं/विधवा के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर संबंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला की स्थिति में तलाक से संबंधित दस्तावेज, गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका, फीस की मूल रसीद।
 9. **“वर्ष 2017-18 में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनकी 50,000/-रु. से अधिक की छात्रवृत्ति राशि स्वीकृत की जानी है, के आय प्रमाण पत्र के उद्घोषक (पिता/पति/माता/संरक्षक) को PAN CARD NO. (बीपीएल को छोड़कर) पोर्टल पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा”**
 10. OBC उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/सूचनाएँ तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा **जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा ऑनलाईन जारी किया गया हो, ही मान्य होगा।** बी.पी.एल./अन्तोदय/स्टेट बी.पी.एल. का डाटा भामाशाह से लिया जावेगा। वर्ष 2018-19 हेतु आय का घोषणा (नवीन प्रारूप), मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ बालिका/बालक होने की स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री/ पुत्र होने की स्थिति में पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र। तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र होने की स्थिति में तलाक होने का दस्तावेज अपलोड करना होगा। विशेष योग्यजन स्वयं, विशेष योग्यजन की पुत्री/ पुत्र होने की स्थिति में विशेष योग्यजन को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
 11. आय का घोषणा पत्र वर्ष 2018-19 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र (जो कि विभागीय बेवसाइड से प्राप्त किया जा सकता है) में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करना होगा। पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा, पिता की मृत्यु होने की स्थिति में माता द्वारा, माता-पिता दोनों की मृत्यु होने की स्थिति में संरक्षक द्वारा, माता-पिता एवं संरक्षक तीनों ही नहीं होने की स्थिति में स्वयं द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी। माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा।
 12. विद्यार्थियों की आधारभूत सूचनाएँ जैसे- नाम, जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाईल नम्बर आदि भामाशाह पोर्टल से ली जा रही है। विद्यार्थी के शैक्षणिक रिकार्ड एवं भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता हो तथा शैक्षणिक रिकार्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है, तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संशोधन करवाया जाना आवश्यक होगा।
 13. भामाशाह आई.डी. तथा आधार नम्बर के अभाव में विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की जा सकेगी।


14. विद्यार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृत्ति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विद्यार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाता में हस्तान्तरित होगी। यदि विद्यार्थी अपने खाते में ही राशि हस्तान्तरण करवाना चाहता है, तो विद्यार्थी को भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता संख्या अंकित करवाना अनिवार्य होगा। विद्यार्थी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है कि उसके द्वारा अंकित किया हुआ बैंक खाता निम्न प्रकार है:-
- छात्रवृत्ति आवेदन आवेदन पत्र में जो खाता उनके द्वारा अंकित किया जा रहा है, वह बैंक नियमों के अनुसार के.वाई.सी. (KYC) पूर्ण स्वयं का खाता हो।
 - छात्र के खाते में लेन-देन भी बैंक द्वारा निर्धारित समय-अन्तराल में हो एवं छात्र को प्राप्त होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति की कुल धनराशि छात्र के खाते में ऑनलाईन ट्रांसफर के लिए कोई ऐसी सीमा (LIMIT) निर्धारित न हो जिससे कि धनराशि अन्तरण सम्भव न हो पाये।
 - बैंक खाता बन्द न हो।
15. शैक्षणिक संस्थान द्वारा विद्यार्थी को उपलब्ध कराई गई फीस की रसीद में अंकित 8 मद ही यथा 1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee), 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee), 3. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee), 4. खेल-कूद शुल्क (Games Fee), 5. संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee), 6. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee), 7. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee), 8. परीक्षा शुल्क (Examination Fee) का योग एवं अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृत्ति हेतु देय है। विद्यार्थी शिक्षण संस्थान द्वारा जारी फीस की रसीद में इन 8 मद को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करें। फीस की मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा। अन्य देय फीसों का पुनर्भरण संभव नहीं होगा।
16. अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (NON REFUNDABLE FEES) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें।
17. विद्यार्थी को शैक्षणिक संस्थान एवं पाठ्यक्रम का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा। यदि विद्यार्थी द्वारा गलत शैक्षणिक संस्थान/पाठ्यक्रम/योजना अथवा अन्य का चयन किया जाता है एवं इस आधार पर आवेदन स्थाई रूप से निरस्त हो जाता है तो इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
18. वर्ष 2018-19 से राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के आवेदन पत्र विद्यार्थी के गृह जिले (बोनाफाइड सर्टिफिकेट) के जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे। जयपुर जिले में दो विभागीय कार्यालय जयपुर एवं जयपुर ग्रामीण होने के कारण सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसील के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (शहर) कार्यालय में एवं जयपुर जिले की अन्य तहसीलों (सांगानेर, झोटवाड़ा एवं आमेर तहसीलों को छोड़कर) के विद्यार्थियों के आवेदन पत्र जयपुर (ग्रामीण) कार्यालय में अग्रेषित (Forward) किये जायेंगे।
19. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष समूह योजना, आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, धुमन्तु, अर्द्धधुमन्तु वर्ग के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी ही आवेदन कर सकेंगे।
20. कक्षा 11 व 12 की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु छात्रवृत्ति स्वीकृतकर्ता अधिकारी संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी एवं संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी होंगे।
- उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी विस्तृत जानकारी www.scholarship.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है एवं विभागीय जिला कार्यालय में व्यक्तिशः एवं दूरभाष पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।


(कृष्ण कुणाल)

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार/श्रम एवं नियोजन/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/(माध्यमिक/प्राथमिक) शिक्षा विभाग जयपुर।
6. आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
9. निदेशक संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल जयपुर।
10. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/ निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग जोधपुर
11. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान
12. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
13. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी (समस्त)
14. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)/देवनारायण, मुख्यावास
15. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
17. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त).....
18. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान).....
19. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....
20. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर /स्नातक महाविद्यालय समस्त.....
21. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....
22. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....
23. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएँ.....
24. अतिरिक्त निदेशक (IT) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
25. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु
26. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
27. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
28. सहायक निदेशक (शिक्षा),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
29. रक्षित पत्रावली।


(राजेन्द्र किशन)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./2017-18/सान्याअवि/ 8 | 901

दिनांक : 30-11-2018

परिपत्र

शैक्षणिक सत्र 2018-19 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल /शिक्षण संस्थाओं आदि के लिए दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं ।

1. प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने अधीन विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल का SSO पोर्टल पर ऑनलाईन सत्यापन किए जाने के उपरान्त ही संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा उनके अधीन संचालित होने वाले एवं उनसे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/पाठ्यक्रम हेतु आवंटित सीटों का ऑनलाईन सत्यापन कर सकेंगे।
2. प्रशासनिक विभाग द्वारा जिन विश्वविद्यालयों का पोर्टल पर अनुमोदन/सत्यापन किया गया है जो कि पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेज एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अण्डरटैकिंग प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज यदि गलत अथवा संदेहास्पद पाए जाते हैं तो उसका समस्त दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी का होगा।
3. प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा है कि वर्ष 2018-19 एवं भविष्य में गठित होने वाले नवीन विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं नवीन पाठ्यक्रम संचालित होने की स्थिति में उनका सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा उनसे संबंधित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों का यथासमय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarship.rajasthan.gov.in पर ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा।
5. विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल के अधीन शैक्षणिक संस्थाएँ अपने से संबंधित विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड से संपर्क कर ऑनलाईन उक्त सत्यापन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
6. विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा संबंधित संस्थान का ऑनलाइन सत्यापन का कार्य निर्धारित समयवधि से पूर्व नहीं होने की दशा में उस संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय एवं बोर्ड जिम्मेदार होंगे।
7. संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा कौन-कौनसे पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, उनका विवरण छात्रवृत्ति पोर्टल पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां भी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। यदि पाठ्यक्रमों में परिवर्तन/संशोधन होता है तो संशोधित पाठ्यक्रमों की प्रतियां छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
8. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वर्षवार एवं मदवार ली जा रही निम्नलिखित फीस की राशि का फीस की रसीद पर विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है ताकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के विद्यार्थी को अनुमत छात्रवृत्ति राशि का पुर्नभरण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो :-

1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee)
2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee)
3. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee)
4. खेल-कूद शुल्क (Games Fee)
5. संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee)
6. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee)
7. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee)
8. परीक्षा शुल्क (Examination Fee)


10. शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों अपने रिकार्ड से जांच पश्चात् अग्रेषण की कार्यवाही की जावेगी।
11. अगर शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रेषित सूचना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ज्ञात होती है तो उनके द्वारा ऐसे आवेदन पत्र में ऑनलाईन आक्षेप अंकित किया जावेगा।
12. संस्थान द्वारा ऑनलाईन आक्षेप करने के उपरान्त आक्षेपित आवेदन पत्र संबंधित विद्यार्थी को आक्षेप पूर्ति हेतु ऑनलाईन उपलब्ध होगा।
13. विद्यार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में आक्षेप की पूर्ति नहीं की जाती है तो उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन निरस्त होने के उपरान्त यदि आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु छात्रवृत्ति पोर्टल खुला है तो विद्यार्थी को पुनः पंजीकरण कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा नहीं।
14. विद्यार्थी द्वारा जान-बूझकर मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इसकी जानकारी संस्थान को प्राप्त होती है तो संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थी का आवेदन पत्र स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जाए। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि स्थाई रूप से निरस्त आवेदन पत्रों को किसी भी स्तर से पुनः प्रक्रियागत नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
15. मिथ्या तथ्य एवं गलत जानकारी के आधार पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन ऑनलाईन अग्रेषित करने पर संबंधित संस्थान के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है। ऐसे शिक्षण संस्थानों को विभाग की ओर से दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए भविष्य में स्थाई रूप से ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।
16. यदि शैक्षणिक संस्थान द्वारा आवेदन अग्रेषित करने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी को जानकारी प्राप्त होती है कि वास्तविक तथ्यों में कोई फेरबदल कर या कोई तथ्य छुपाया जाकर है या किसी तथ्य को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जाकर विभाग/सरकार को गुमराह करते हुए या छल-कपट कर बेइमानी के आधार पर छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी ने आवेदन किया है तथा उक्त विद्यार्थी की छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु शिक्षण संस्था द्वारा अनुशंसा की गई है, तो विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान का उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177, 197, 198, 199, 200, एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। ऐसे कृत्य करने पर विद्यार्थी, संबंधित शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृत्ति हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। इन धाराओं में दोषी पाये जाने संबंधित को 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
17. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं जानकारी तथा आवेदन की प्रक्रिया www.scholarship.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।


 (कृष्ण कुणाल)

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार/श्रम एवं नियोजन/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/(माध्यमिक/प्राथमिक) शिक्षा विभाग जयपुर।
6. आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
9. निदेशक संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल जयपुर।
10. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/ निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग जोधपुर
11. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान
12. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
13. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी (समस्त)
14. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)/देवनारायण, मुख्यावास
15. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
16. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
17. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त).....
18. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान).....
19. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....
20. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर /स्नातक महाविद्यालय समस्त.....
21. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....
22. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....
23. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाएँ.....
24. अतिरिक्त निदेशक (IT) मुख्यावास को छात्रवृत्ति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थार्थ सुनिश्चित करवाने, बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई-मेल करवाने हेतु।
25. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार करवाने हेतु
26. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
27. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
28. सहायक निदेशक (शिक्षा),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
29. रक्षित पत्रावली।


(राजेन्द्र किशन)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)